IS 19317:2025 / ISO 53800:2024

Promotion and Implementation of Gender Equality and Women's Empowerment - Guidelines

The Guidelines for the Promotion and Implementation of Gender Equality and Women's Empowerment provide a comprehensive and structured framework for organizations to integrate principles of equality into governance, operations, and stakeholder engagement.

Recognizing the persistence of global disparities in remuneration, representation, and safety, the standard—harmonized with the United Nations Sustainable Development Goal 5—affirms that gender equality is both a fundamental human rights obligation and a prerequisite for sustainable development. Applicable to organizations of all types, sizes, and sectors, it offers practical methodologies for assessing the current state of gender equality, identifying relevant stakeholders, and prioritizing interventions through a continuous improvement (PDCA) cycle.

The guidelines address key domains, including strengthening governance structures, ensuring equitable labour practices, enhancing awareness and capacity-building, and establishing robust support mechanisms for stakeholders. They further emphasize the delivery of gender-responsive goods, services, and procurement processes; the integration of gender considerations into budgeting; and the cultivation of strategic partnerships and outreach initiatives.

The standard underscores the importance of evidence-based decision-making through the systematic collection and analysis of both qualitative and quantitative indicators. By embedding gender equality into organizational policies, culture, and operational practices, it seeks to foster inclusivity, enhance institutional performance, and contribute meaningfully to societal advancement. While adaptable to varying organizational contexts and resource capacities, the framework stresses that sustainable progress necessitates leadership commitment, stakeholder participation, and accountability at all levels of operation.

IS 19317:2025 / ISO 53800:2024

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और कार्यान्वयन - दिशानिर्देश

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के संवर्धन एवं कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश, संगठनों को शासन, संचालन और हितधारक सहभागिता में समानता के सिद्धांतों को एकीकृत करने हेतु एक व्यापक और संरचित ढाँचा प्रदान करते हैं।

पारिश्रमिक, प्रतिनिधित्व और सुरक्षा में वैश्विक असमानताओं की निरंतरता को स्वीकार करते हुए, यह मानक—संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 5 के अनुरूप—इस बात की पुष्टि करता है कि लैंगिक समानता एक मौलिक मानवाधिकार दायित्व और सतत विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा दोनों है। सभी प्रकार, आकार और क्षेत्रों के संगठनों पर लागू, यह दिशानिर्देश लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति का आकलन करने, प्रासंगिक हितधारकों की पहचान करने और निरंतर सुधार (पीडीसीए) चक्र के माध्यम से हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने के लिए व्यावहारिक पद्धतियाँ प्रदान करता है।

ये दिशानिर्देश प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करते हैं, जिनमें शासन संरचनाओं को मजबूत करना, समान श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करना, जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाना, और हितधारकों के लिए मजबूत समर्थन तंत्र स्थापित करना शामिल है। ये दिशानिर्देश लैंगिक-संवेदनशील वस्तुओं, सेवाओं और खरीद प्रक्रियाओं के वितरण; बजट में लैंगिक विचारों को एकीकृत करने; और रणनीतिक साझेदारियों और आउटरीच पहलों को विकसित करने पर भी ज़ोर देते हैं।

यह मानक गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों संकेतकों के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के महत्व को रेखांकित करता है। संगठनात्मक नीतियों, संस्कृति और संचालन प्रथाओं में लैंगिक समानता को शामिल करके, यह समावेशिता को बढ़ावा देने, संस्थागत प्रदर्शन को बेहतर बनाने और सामाजिक प्रगति में सार्थक योगदान देने का प्रयास करता है। विभिन्न संगठनात्मक संदर्भों और संसाधन क्षमताओं के अनुकूल होने के साथ-साथ, यह ढाँचा इस बात पर ज़ोर देता है कि सतत प्रगति के लिए संचालन के सभी स्तरों पर नेतृत्व की प्रतिबद्धता, हितधारकों की भागीदारी और जवाबदेही आवश्यक है।